



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122023-250835  
CG-DL-E-22122023-250835

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945

No. 724]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSA 1, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 908(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (तीसवाँ) नियम, 2023 है।  
(2) वे 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे;
- आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 12 में-  
(i) उप-नियम (1) में, प्रारंभिक भाग में, "2023" अंक के स्थान पर, "2024" अंक रखा जाएगा; "  
(ii) उप-नियम (5) में, "2022" अंकों के स्थान पर, "2023" अंक रखे जाएंगे।"
- मूल नियमों में, परिशिष्ट 2 में, -

(i) प्रूप आईटीआर-1 सहज के स्थान पर, निम्नलिखित प्रूप रखा जाएगा, अर्थात्: -

प्रूप आईटीआर - 1 सहज	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b>	निर्धारण वर्ष					
	[50 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी (साधारण निवासी नहीं होने के अलावा), वेतन, एकल गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) और 5 हजार रुपये तक की कृषि से आय वाले व्यष्टिकों के लिए [ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या गैर-सूचीबद्ध सामान्य शेरों में निवेश किया है या उन मामलों में जहां टीडीएस 194 एन के अधीन काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित है) (पात्रता के लिए निर्देश देखें)]	2	0	2	4	-	2

भाग एक साधारण जानकारी														
(ए1) स्थायी खाता संख्या	(ए2) प्रथम नाम	(ए4) जन्म तिथि							(ए5) आधार नंबर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार संख्या के लिए पात्र हैं)					
	(ए2क) मध्य नाम (ए3) अंतिम नाम	ता	ता	मा	मा	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष					
(ए6) मोबाइल नंबर	(ए7) ईमेल पता		पता: (ए8) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं. (ए9) परिसर/भवन/गांव का नाम (ए10) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस क्षेत्र/स्थानीयता (ए11) शहर/शहर/जिला (ए12) राज्य (ए13) देश (ए14) पिन कोड											
(ए15) धारा के अधीन फाइल (टिक) /कृपया निर्देश देखें/	<input type="checkbox"/> 139(1) नियत तारीख पर या उससे पूर्व, (139 (4) -विलंबित, (139 (5) - संशोधित, (119 (2) (बी) - देरी की माफी के पश्चात		(ए17) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पेंशनभोगी-सीजी <input type="checkbox"/> पेंशनर-एसजी <input type="checkbox"/> पेंशनर-पीएसयू <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-अन्य <input type="checkbox"/> अन्य (लागू नहीं) ( जैसे कुटुंब पेंशन आदि)											
(अ16) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153सी													
(ए18) यदि संशोधित/ दोषपूर्ण है, तो रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख दर्ज करें। (तिथि/माह/वर्ष)			/ /											
(ए19) यदि धारा 139 (9)/142 (1)/148/153सी के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया जाता है या धारा 119 (2) (बी) के अधीन आदेश दिया जाता है - यूनीक संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें			/ /											
(ए20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग(6) के अधीन विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? (डिफॉल्ट "नहीं" है) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं														
(ए21) क्या आप धारा 139 (1) के सातवें परंतुक के अधीन आयकर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आपको आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है? - (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को धारा 139 (1) के अधीन आय का विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा न हो, लेकिन धारा 139 (1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय का विवरणी फाइल करना हो]]														
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है? (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ)													
(ii) क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख ₹.रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ)													
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं													

भाग बी सकल कुल आय केवल पूरा रुपया (₹)					
बी1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग+iघ+iङ)			i
वेतन/पेंशन		क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
		ख	धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख	
		ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग	
		घ	धारा 89ए के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ	
		ङ	धारा 89ए के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ	
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में सम्मिलित है) 17(1)/17(2)/17(3) )			ii
	iiक	घटाएँ: धारा 89ए के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय			iiक
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)			iii
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)			iv
		क	धारा 16 (iए) के अधीन मानक कटौती	ivक	
ख		16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
ग		धारा 16(iii) के अधीन व्रतिक कर	ivग		
v	'वेतन' मद के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)			बी1	
बी2	लागू विकल्प पर टिक करें <input type="checkbox"/> स्व-कब्जे <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझा गया				
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य			i
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया	ii		
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)			iii
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%			iv
	v	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज			v
	vi	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अप्राप्त किराया 30% से कम			vi
	vii	गृह संपत्ति ' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) के अधीन प्रभारित आय टिप्पण: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें			बी2
बी3	अन्य स्रोतों से आय (बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे बचत खाते, जमा आदि को ई-फाइलिंग उपयोगिता में आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए प्रदान किया जाना है और धारा 89 ए के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश आय और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234 ग से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें)			बी3	
	कम: धारा 57 (ii ए) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)				
	कम: धारा 89ए के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय				

बी4	सकल कुल आय (ख1 + ख2 +ख3) (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) टिप्पण: अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें									बी4
भाग सी - कटौती और कर योग्य कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देश देखें)										
80ग	80गगग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80गगज	80घ (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80घघ (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80घघख (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80ड	80डड
80डडक	80डडख	80छ (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80छछ	80छछक (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80छछग (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	80ननक	80ननख	80प (विवरण ई- फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	
कुल कटौती					ग1			कुल आय (बी4-ग1)		ग2
रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए आय से छूट					ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए					

		भाग डी - देय कर की गणना								
घ1	कुल आय पर देय कर		घ2	धारा 87ए के अधीन छूट		घ3	छूट के पश्चात कर			
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ डी 3 पर 4%		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ई जमा करना सुनिश्चित करें)			
घ7	धारा 234अ के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234बी के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234 सी के अधीन ब्याज			
घ10	234घ के अधीन शुल्क		घ11	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)						
घ12	भुगतान किए गए कुल कर		घ13	देय राशि (घ11-घ12) (if घ11>घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (if घ12>घ11)			
भाग ड - अन्य जानकारी										
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)										
क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड		बैंक का नाम		खाता संख्या		खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने		धनवापसी उधार के लिए खाते का चयन करें	

				वाला ड्रॉपडाउन)	
1					
<p>1. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>2. प्रतिदाय के मामले में, उधार प्रतिदाय के लिए कई खातों का चयन किया जाता है, फिर विवरणी को संसाधित करने के पश्चात प्रतिदाय सीपीसी द्वारा तय किए गए खाते में से एक में जमा किया जाएगा।</p>					

अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर भुगतान का अनुसूची-आईटी विवरण												
बीएसआर कोड			जमा करने की तारीख (ता/माह/वर्ष)			चालान का सीरियल नंबर			कर का भुगतान			
स्तंभ (1)			स्तंभ (2)			स्तंभ (3)			स्तंभ (4)			
आर1												
आर 2												
टीडीएस/टीसीएस का अनुसूची-टीडीएस विवरण [कटौतीकर्ता/नियोक्ता/भुगतानकर्ता/कलेक्टर (ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16/16ए/16सी/27डी के अनुसार]												
कटौतीकर्ता/कलेक्टर का टैन या किरायेदार की पैन/आधार संख्या।		कटौतीकर्ता/कलेक्टर/किरायेदार का नाम		सकल भुगतान/प्राप्ति जो कर कटौती/संग्रह के अधीन हो।		कर कटौती/संग्रहण का वर्ष		कर की कटौती/संग्रहण		इस वर्ष दावा किए गए (5) में से टीडीएस/टीसीएस उधार		
स्तंभ (2)		स्तंभ (3)		स्तंभ (4)		स्तंभ (5)		स्तंभ (6)		स्तंभ (7)		
टी 1												
टी 2												

### सत्यापन

प्राप्तकर्ता पदधारी की स्टाम्प रसीद संख्या, मुहर, तारीख और हस्ताक्षर

मैं,..... पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं \_\_\_\_\_ के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूँ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला ड्रॉप डाउन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

। यदि विवरणी कर विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे और विवरण दें:

टीआरपी की पहचान संख्या	टीआरपी का नाम	टीआरपी के काउंटर हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति की हकदार है, तो उसकी राशि		

(ii) प्ररूप आईटीआर -4 सुगम के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्रकार	आईटीआर -4 सुगम	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b> [50 लाख रुपये तक कुल आय वाले निवासी व्यष्टिकों, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) और व्यवसाय और पेशे से हैं, जिसकी गणना धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के अधीन की जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो या तो किसी कंपनी में निदेशक हैं या गैर-सूचीबद्ध इन्विटी शेरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आयकर स्थगित है या जिसकी कृषि आय 5000 रुपये से अधिक है। (कृपया पात्रता के लिए निर्देश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	4	-	2

भाग एक साधारण जानकारी											
(ए1) प्रथम नाम			(ए2) मध्य नाम			(ए3) अंतिम नाम			(ए4) स्थायी खाता संख्या		
(ए5) जन्म तिथि/ गठन (ता./माह/वर्ष)									(ए6) फ्लैट/दरवाजा/ब्लॉक नं..		
(ए7) परिसर/भवन/गांव का नाम			(ए8) सड़क/गली/पोस्ट ऑफिस			(ए9) क्षेत्र/स्थानीयता					
(ए10) शहर/शहर/जिला			(ए11) राज्य			(अ12) देश			(ए13) पिन कोड/ज़िप कोड		
(ए14) आधार नंबर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार संख्या के लिए पात्र हैं.)									(ए15) प्रास्थिति व्यष्टि <input type="checkbox"/> एचयूएफ <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी के अलावा) <input type="checkbox"/>		
(ए16) एसटीडी कोड/मोबाइल नंबर 1 के साथ आवासीय/कार्यालय फोन नंबर			(ए17) मोबाइल नंबर 2			(ए18) ईमेल पता -1 (स्वयं)			ईमेल पता -2		
(ए19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-सीजी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-एसजी <input type="checkbox"/> पेंशनर-पीएसयू <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-अन्य <input type="checkbox"/> दूसरों <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदा. कुटुंब पेंशन आदि.)											
(ए20)(क) यू/एस द्वारा फाइल (टिक) [कृपया निर्देश देखें]-			<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- नियत तारीख के पश्चात,			<input type="checkbox"/> 139(5)- संशोधित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- देरी की माफी के पश्चात					
(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया			<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग								
(ए21) यदि संशोधित/दोषपूर्ण है तो रसीद संख्या दर्ज करें। और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष)									/ /		
(ए22) यदि धारा 139 (9) / 142 (1)/148/153 सी के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया जाता है या धारा 119 (2) (बी) के अधीन आदेश दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।									/ /		
(ए23) क्या आपने धारा 115 खकग(6)के अधीन नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के विकल्प का उपयोग किया है? (डिफॉल्ट "नहीं" है) <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> हां, नियत तारीख के भीतर <input type="checkbox"/> हां, लेकिन नियत तारीख से परे (यदि 'नहीं' के अलावा अन्य विकल्प चुना जाता है, तो कृपया प्रूप 10-आईईए की फाइलिंग की तारीख और पावती संख्या प्रस्तुत करें) टिप्पण- इससे बाहर निकलने के लिए, धारा 139 (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए।											
(ए24) क्या आप धारा 139 (1) के सातवें परंतुक के अधीन आयकर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आपको आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति को धारा 139 (1) के अधीन आय का विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा न हो, लेकिन धारा 139 (1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय का विवरणी फाइल करना होगा।											
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)									राशि (रुपये) (यदि हां)		
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है ? (हां /नहीं)									राशि (रुपये) (यदि हां)		

(iii) क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रु रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है ? (हां /नहीं)	राशि (रुपये) (यदि हां)
(iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप-डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(ए25) क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि द्वारा फाइल किया जा रहा है ? (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)-	
(1) प्रतिनिधि का नाम	
(2) प्रतिनिधि की क्षमता	
(3) प्रतिनिधि का पता	
(4) प्रतिनिधि का स्थायी खाता संख्या (पैन)/आधार नंबर	

भाग बी सकल कुल आय			
केवल पूरे- रुपया (₹)			
बी 1	व्यवसाय और पेशे से आय ( टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)	बी1	
बी 2	i सकल वेतन (iक+iख+iग+iङ)_	i	
वेतन/पेंशन	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
	ख धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग	
	घ धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय (देश ड्रॉप डाउन ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाएगा)	iघ	
	ङ धारा 89ए के अधीन अधिसूचित देश के अलावा किसी अन्य देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	iङ	
	ii धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है।	ii	
	iiअ घटाएँ: धारा 89क के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय	iiअ	
	iii शुद्ध वेतन (i - ii-iiक)	iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)	iv	
	क धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती	ivक	
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
ग धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	ivग		
v वेतन' शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (iii - iv) ( टिप्पण - "अनुसूची टीडीएस1" भरना सुनिश्चित करें)	बी2		
बी3	लागू विकल्प पर टिक करें स्वतः कब्जा <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझा गया जाए <input type="checkbox"/>		
गृह संपत्ति	i वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य	i	
	ii स्थानीय अधिकारियों को भुगतान किया गया कर	ii	
	iii वार्षिक मूल्य (I - II)	iii	
	iv वार्षिक मूल्य का 30%	iv	
	v उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज	v	
	vi वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	vi	
	vii 'गृह संपत्ति' (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	बी 3	

बी4	आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय में कमी आती है और धारा 89क के अधीन अधिसूचित देश में रखे गए लाभांश और सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय के मामले में, धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें- यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें।	बी4	
	कम: धारा 57 (iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)		
	कम: धारा 89ए के अधीन कराधान से राहत के लिए दावा की गई आय		
बी5	सकल कुल आय (बी1 + बी 2 + बी 3 + बी 4) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।	बी5	

भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमा के लिए निर्देशों को देखें)								
ग1	80ग		ग2	80गग		ग3	80गगघ (1)	
ग4	80गगघ (1ख)		ग5	80गगघ (2)		ग6	80घ	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं
ग7	80घघ	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं	ग8	80घघख	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं	ग9	80ङ	
ग10	80ङङ		ग11	80ङङक		ग12	80ङङख	
ग13	80छ	ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण प्रदान किए जाने हैं	ग14	80छछ		ग15	80छछग (विवरण ई-फाइलिंग यूटिलिटी में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80प	ड्रॉप डाउन में भरे जाने वाले विवरण ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने हैं
ग18क	80गगज		ग18ख	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती				
ग19	कुल कटौतियां (ग1 से ग18ख तक मद जोड़ें)							ग19
	ग20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19 )					ग20	

भाग घ - कर गणना और कर की स्थिति		
घ1	कुल आय पर देय कर (ग20)	घ1
घ2	87क पर छूट	घ2
घ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ1-घ2)	घ3
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ)3 का 4%]	घ4
घ5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	घ5
घ6	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ड जमा करना सुनिश्चित करें)	घ6
घ7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ5 - घ6)	घ7



घ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ8				
घ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ9				
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10				
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11				
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ12				
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13				
घ14	कुल स्व-निर्धारण कर का संदाय	घ14				
घ15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15				
घ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16				
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ17				
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18				
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19				
घ20	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए आय से छूट (यदि कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, प्रासंगिक खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)	घ20				
क्र.सं.	घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला)	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का चयन करें
	i					
	ii					
<p>1. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए।</p> <p>2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय जमा के लिए कई खातों का चयन किया जाता है, तब विवरणी को प्रक्रियागत करने के पश्चात् सीपीसी द्वारा निश्चित किए गए खाते में प्रतिदाय जमा किया जाएगा।</p>						

अनुसूची बीपी - व्यवसाय या वृत्ति से आय का विवरण			
धारा 44कघ के अधीन अनुमानित व्यावसायिक आय की गणना			
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)			
ड1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ड1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि ड1ख, ड1 के 5% से कम या बराबर है तो ड1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।		
	क आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड1क
	ख नकद में प्राप्तियां		ड1ख
	ग क और ख के अलावा कोई अन्य मोड		ड1ग
ड2	धारा 44कघ के अधीन अनुमानित आय		
	क ड1क का 6% या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो,		ड2क
	ख (ड1ख + ड1ग) का 8% या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी अधिक हो।		ड2ख
	ग कुल (क + ख)		ड2ग
टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कघ के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।			
धारा 44कघक के अधीन व्यवसायों से अनुमानित आय की गणना			
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)			
ड3	सकल प्राप्तियां (ड3 50 लाख रु. तक सीमित है, तथापि यदि ड3ख ड3 के 5% से कम या बराबर है तो ड3 के अधीन सीमा 75 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाती है।		ड3
	क आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से		ड3क

	ख	नकद में प्राप्तियां		ड3ख		
	ग	क और ख के अलावा कोई अन्य मोड		ड3ग		
ड4	धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (ई 3 का 50%) या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो। टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।			ड4		
धारा 44कड के अधीन माल गाड़ियों से अनुमानित आय की गणना						
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम		व्यवसाय कोड	विवरण:		
(i)						
	माल गाड़ियों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	चाहे स्वामित्व/ पट्टे पर लिया गया हो / किराए पर लिया गया हो	माल दुलाई की टन क्षमता (मीट्रिक टन में)	उन महीनों की संख्या जिनके लिए मालगाड़ी का स्वामित्व/पट्टे/निर्धारित द्वाारा किराए पर लिया गया था	माल दुलाई के लिए धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (12 मीट्रिक टन से अधिक टन भार होने पर प्रति माह @ 1000 रुपये प्रति टन या फिर @ 7500 रुपये प्रति माह) या वास्तव में अर्जित करने का दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(क)						
(ख)						
आवश्यकतानुसार पंक्ति विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय यानों की संख्या 10 यानों से अधिक नहीं होनी चाहिए)'						
ड5	धारा 44कड [स्तंभ (5)] के अधीन माल दुलाई से अनुमानित आय टिप्पण- यदि लाभ धारा 44 कड के अधीन निर्धारित से कम है या किसी भी समय स्वामित्व वाले यानों की संख्या 10 से अधिक है, तो अन्य आईटीआर, जैसा भी लागू हो, दाखिल करना होगा।			ड5		
ड6	भागीदारों को संदाय किया गया वेतन और ब्याज टिप्पण - यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाना है			ड6		
ड7	44कड के अधीन अनुमानित आय (ड5-ड6)			ड7		
ड8	'व्यवसाय या वृत्ति' (ड2ग + ड4 + ड7) शीर्ष के अधीन प्रभारित आय			ड8		
जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्त के बारे में जानकारी टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।						
ड9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).			ड9		
ड10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य			ड10		
व्यवसाय का वित्तीय विवरण टिप्पण- ड11 से ड25 के लिए 31 मार्च, 2024 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।						
ड11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी			ड11		
ड12	सुरक्षित ऋण			ड12		
ड13	असुरक्षित ऋण			ड13		
ड14	अग्रिम			ड14		
ड15	विविध लेनदार			ड15		
ड16	अन्य दायित्व			ड16		
ड17	कुल पूंजी और दायित्व (ड11 + ड12 + ड13 + ड14 + ड15 + ड16)			ड17		
ड18	अचल संपत्तियां			ड18		
ड19	सूची			ड19		
ड20	विविध देनदार			ड20		
ड21	बैंकों के साथ शेष रकम			ड21		
ड22	कैश-इन-हैंड			ड22		
ड23	ऋण और अग्रिम			ड23		

ड24	अन्य संपत्तियां	ड24	
ड25	कुल संपत्ति (ड18+ड19+ड20+ड21+ड22+ड23+ड24)	ड25	
टिप्पण ▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)		

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण

	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (ता/मा/वर्ष)	चालान नं.	कर का संदाय
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
द1				
द2				
द3				
टिप्पण ▶	घ 13 और घ 14 में अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के योग दर्ज करें			

स्रोत पर एकत्र किए गए कर का टीसीएस विवरण [कलेक्टर (ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण खाता संख्यांक	संग्रहकर्ता का नाम	प्ररूप 26 कथ में उल्लिखित संदाय की गई रकम का विवरण	कर संग्रह	दावा की जा रही (4) रकम में से
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶	कृपया घ 16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें				

अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण

[नियोक्ता द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]

	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
S1				
S2				
S3				
टिप्पण ▶	घ 15 में अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज करें			

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन के अलावा अन्य आय पर स्रोत पर काटे गए कर का विवरण :								
[जारी किए गए प्ररूप 16 क या प्ररूप 16 ग या प्ररूप 16 घ के अनुसार कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है]								
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टेन / किराएदार का पेन /आधार संख्या	अशेषित बिना दावे वाला टीडीएस (ख/फ)		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस	इस वर्ष टीडीएस जमा का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए संबंधित रसीद की पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194 ड के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं होता है)	तदनुसूची प्राप्ति/निकासी की पेशकश		टीडीएस जमा को अग्रणीत किया जा रहा है
		वित्त वर्ष जिसमें कटौती की जाती है	अशेषित टीडीएस	टीडीएस कटौती	टीडीएस का दावा	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
टिप्पण घ15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 की कुल संख्या दर्ज करें								

### सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मेरी \_\_\_\_\_ की हैसियत से (ई-फाइलिंग यूटिलिटी में ड्राप डाउन प्रदान किया जाए) विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए भी समर्थ हूँ। मैं स्थायी खाता संख्यांक \_\_\_\_\_ धारक हूँ। (कृपया निर्देश देखें)

यहाँ हस्ताक्षर करें →

स्थान: तारीख:

यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, तो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:								
टीआरपी पिन (10 अंक)				टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर			
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम								

[अधिसूचना सं.105/2023/फा. सं. 370142/45/2023-टीपीएल (भाग-1)]

सुरबेंदु ठाकुर, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 900 तारीख 19 दिसंबर, 2023 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2023

**G.S.R. 908(E).**— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Thirtieth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2024;

**2.** In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12.—

(i) in sub-rule (1), in the opening portion, for the figure “2023”, the figure “2024” shall be substituted;

(ii) in sub-rule (5), for the figures “2022”, the figures “2023” shall be substituted.

**3.** In the principal rules, in APPENDIX II, —

(i) for Form ITR-1 SAHAJ, the following Form shall be substituted, namely:-

<b>FORM</b>	<b>ITR-1 SAHAJ</b>	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b>	<b>Assessment Year</b>				
		[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income up to Rs.50 lakh, having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.), and agricultural income up to Rs.5 thousand] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted u/s 194N or if income-tax is deferred on ESOP] <i>(Refer instructions for eligibility)</i>	2	0	2	4	-

PART A GENERAL INFORMATION																								
(A1) PAN	(A2) First Name	(A4) Date of Birth							(A5) Aadhaar Number (12 digits)/Aadhaar Enrolment Id (28 digits) (If eligible for Aadhaar No.)															
		(A2a) Middle Name	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
(A6) Mobile No.		(A7) Email Address							Address: (A8) Flat/Door/Block No. (A9) Name of Premises/Building/Village (A10) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11) Town/City/District (A12) State (A13) Country (A14) PIN code															
(A15) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-Belated, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay							(A17) Nature of employment- <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)															
(A16) Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C																						
(A18) If revised/ defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)																								
/ /																								

(A19) If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order										/ /
(A20) Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is “No”) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No										
(A21) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]										
(i) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)									Amount (Rs) (If Yes)	
(ii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)									Amount (Rs) (If Yes)	
(iii) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop down menu)									(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

PART B GROSS TOTAL INCOME						Whole- Rupee(₹) only		
SALARY / PENSION	B1	i Gross Salary (ia + ib + ic+id+ie)				i		
		a	Salary as per section 17(1)		ia			
		b	Value of perquisites as per section 17(2)		ib			
		c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)		ic			
		d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)		id			
		e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A		ie			
		ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3) )				ii	
		iiia	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A				iiia	
		iii	Net Salary (i – ii-iiia)				iii	
		iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)				iv	
			a	Standard deduction u/s 16(ia)		iva		
			b	Entertainment allowance u/s 16(ii)		ivb		
			c	Professional tax u/s 16(iii)		ivc		
		v	Income chargeable under the head ‘Salaries’ (iii – iv)				B1	
B2	Tick applicable option <input type="checkbox"/> Self-Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out							
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year				i		
	ii	Tax paid to local authorities		ii				
	iii	Annual Value (i – ii)				iii		
	iv	30% of Annual Value		iv				
	v	Interest payable on borrowed capital		v				
	vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%		vi				
	vii	Income chargeable under the head ‘House Property’ (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2				B2		

<b>B3</b>	<b>Income from Other Sources</b> (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend income and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)	<b>B3</b>	
	<b>Less: Deduction u/s 57(iia)</b> (in case of family pension only)		
	<b>Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A</b>		
<b>B4</b>	<b>Gross Total Income (B1+B2+B3)</b> (If loss, put the figure in negative) <b>Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2</b>	<b>B4</b>	

**PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)**

80C	80CCC	80CCD(1)	80CCD(1B)	80CCD(2)	80CCH	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DD (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80E	80EE
80EEA	80EEB	80G (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GG	80GGA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80TTA	80TTB	80U (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	Any other Deduction as per the e-filing utility	
<b>Total deductions</b>					<b>C1</b>				<b>Total Income (B4-C1)</b>	<b>C2</b>
<b>Exempt Income For reporting purpose</b>				Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section						

**PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE**

<b>D1</b>	<b>Tax payable on total income</b>	<b>D2</b>	<b>Rebate u/s 87A</b>	<b>D3</b>	<b>Tax after Rebate</b>
<b>D4</b>	<b>Health and education Cess @ 4% on D3</b>	<b>D5</b>	<b>Total Tax and Cess</b>	<b>D6</b>	<b>Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)</b>
<b>D7</b>	<b>Interest u/s 234A</b>	<b>D8</b>	<b>Interest u/s 234B</b>	<b>D9</b>	<b>Interest u/s 234C</b>
<b>D10</b>	<b>Fee u/s 234F</b>	<b>D11</b>	<b>Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)</b>		
<b>D12</b>	<b>Total Taxes Paid</b>	<b>D13</b>	<b>Amount payable (D11-D12) (if D11&gt;D12)</b>	<b>D14</b>	<b>Refund (D12-D11) (if D12&gt;D11)</b>

**PART E – OTHER INFORMATION**

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
<b>I</b>					

1. Minimum one account should be selected for refund credit.

2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return.

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments												
			BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Tax paid						
			Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)						
R1												
R2												
Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]												
TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant		Name of the Deductor/ Collector/Tenant		Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection		Year of tax deduction/ collection		Tax Deducted/ collected		TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year		
Col (2)		Col (3)		Col (4)		Col (5)		Col (6)		Col (7)		
T1												
T2												

## VERIFICATION

Stamp Receipt No.,  
Seal, Date & Sign of  
Receiving Official

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_. (Please see instruction).

Date:

Signature:

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof		

(ii) for Form ITR-4 SUGAM, the following Form shall be substituted, namely:-

FORM	ITR-4 SUGAM	INDIAN INCOME TAX RETURN		Assessment Year	
		[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE,] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or if income-tax is deferred on ESOP or has agricultural income more than Rs.5000] (Please refer instructions for eligibility)		2024 - 25	

PART A GENERAL INFORMATION												
(A1) First Name			(A2) Middle Name				(A3) Last Name			(A4) Permanent Account Number		
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)						(A6) Flat/Door/Block No.						
(A7) Name of Premises/ Building/ Village						(A8) Road/Street/Post Office			(A9) Area/Locality			
(A10) Town/City/District				(A11) State		(A12) Country		(A13) PIN Code/ZIP Code				
(A14) Aadhaar Number (12 digits)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digits) (if eligible for Aadhaar No.)						(A15) Status Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/>						
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1					(A17) Mobile No. 2			(A18) Email Address-1 (self)				
								Email Address -2				



(A19) Nature of employment - <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)											
(A20)(a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-						<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay					
(b) Or Filed in response to notice u/s						<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153C					
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)						/ /					
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order						/ /					
(A23) Have you exercised the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Yes, within the due date <input type="checkbox"/> Yes, but beyond the due date ( If option other than 'No' is selected, please furnish date of filing and Acknowledgement number of form 10-IEA) Note-For Opting out, option should be exercised on or before the due date for filing return u/s 139(1)											
(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information as provided in e-filing utility [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]											
(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)					
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)						Amount (Rs) (If Yes)					
(iii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)						Amount (Rs) (If Yes)					
(iv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)						(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					
(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -											
(1) Name of the representative											
(2) Capacity of the representative											
(3) Address of the representative											
(4) Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the representative											

PART B GROSS TOTAL INCOME			Whole- Rupee(₹) only			
B1	Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)			B1		
B2	i Gross Salary (ia+ib+ic+id+ie)_			i		
SALARY / PENSION	a	Salary as per section 17(1)		ia		
	b	Value of perquisites as per section 17(2)		ib		
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)		ic		
	d	Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A (country drop down will be provided in e-filing utility)		id		
	e	Income from retirement benefit account maintained in a country other than notified country u/s 89A		ie		
	ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) [Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3)]			ii	
	iiia	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A			iiia	
	iii	Net Salary (i – ii-iiia)			iii	
	iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)			iv	

	a	Standard deduction u/s 16(ia)	iva	
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb	
	c	Professional tax u/s 16(iii)	ivc	
v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1")			B2
B3	Tick applicable option Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out <input type="checkbox"/>			
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year		i
	ii	Tax paid to local authorities		ii
	iii	Annual Value (i – ii)		iii
	iv	30% of Annual Value		iv
	v	Interest payable on borrowed capital		v
	vi	Arrears/Unrealized Rent received during the year Less 30%		vi
	vii	Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note:-Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2,00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.		
B4	Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend and Income from retirement benefit account maintained in a notified country u/s 89A, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.			B4
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)			
	Less: Income claimed for relief from taxation u/s 89A			
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.			B5

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for Deductions limits as per Income-tax Act)								
C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)	
C4	80CCD (1B)		C5	80CCD (2)		C6	80D	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility
C7	80DD	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C8	80DDB	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C9	80E	
C10	80EE		C11	80EEA		C12	80EEB	
C13	80G	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C14	80GG		C15	80GGC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	Details to be filled in the drop down to be provided in e-

								<i>filing utility</i>	
C18a	80CCH		C18b	Any Other deduction as per the e-filing utility					
C19	Total deductions (Add items C1 to C18b)								C19
	C20	Taxable Total Income (B5 - C19)							C20

### PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1
D2	Rebate on 87A	D2
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4
D5	Total Tax, and Cess ( D3+D4)	D5
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7
D8	Total Interest u/s 234A	D8
D9	Total Interest u/s 234B	D9
D10	Total Interest u/s 234C	D10
D11	Fee u/s 234F	D11
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11)	D12
D13	Total Advance Tax Paid	D13
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs.5,000/-, use ITR 3/5) (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20

<b>BANK ACCOUNT</b>	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
		Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of bank account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
		i					
		ii					
<p>1. Minimum one account should be selected for refund credit.</p> <p>2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return</p>							

### SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION

#### COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E1	Gross Turnover or Gross Receipts (E1 limited to Rs.2 Crores, however if E1b is less than or equal to 5% of E1 then the limit under E1 is extended to Rs.3 Crores.)		

	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date		E1a	
	b	Receipts in Cash		E1b	
	c	Any mode other than a and b		E1c	
<b>E2</b>	<b>Presumptive Income under section 44AD</b>				
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		E2a	
	b	8% of (E1b+E1c) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher		E2b	
	c	Total (a + b)		E2c	
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed				
<b>COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA</b>					
<b>S. No.</b>	<b>Name of Business</b>		<b>Business code</b>	<b>Description</b>	
(i)					
<b>E3</b>	<b>Gross Receipts (E3 limited to Rs.50 Lakhs, however if E3b is less than or equal to 5% of E3 then limit under E3 is extended to Rs.75 Lakhs.)</b>			<b>E3</b>	
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date		E3a	
	b	Receipts in Cash		E3b	
	c	Any mode other than a and b		E3c	
<b>E4</b>	<b>Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher</b> NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed			<b>E4</b>	
<b>COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE</b>					
<b>S. No.</b>	<b>Name of Business</b>		<b>Business code</b>	<b>Description</b>	
(i)					
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)					
(b)					
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)					
<b>E5</b>	<b>Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)]</b> NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed			<b>E5</b>	
<b>E6</b>	<b>Salary and interest paid to the partners</b> NOTE – This is to be filled up only by firms			<b>E6</b>	
<b>E7</b>	<b>Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)</b>			<b>E7</b>	
<b>E8</b>	<b>Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7 )</b>			<b>E8</b>	

INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST			
Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately			
E9	GSTIN No(s).	E9	
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed	E10	
FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS			
Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2024			
E11	Partners/ Members own capital	E11	
E12	Secured loans	E12	
E13	Unsecured loans	E13	
E14	Advances	E14	
E15	Sundry creditors	E15	
E16	Other liabilities	E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)	E17	
E18	Fixed assets	E18	
E19	Inventories	E19	
E20	Sundry debtors	E20	
E21	Balance with banks	E21	
E22	Cash-in-hand	E22	
E23	Loans and advances	E23	
E24	Other assets	E24	
E25	Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)	E25	
<b>NOTE</b> ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)			

### SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS

	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Challan No.				Tax paid			
	Col (1)				Col (2)				Col (3)				Col (4)			
R1																
R2																
R3																
<b>NOTE</b> ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14																

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]					
Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
I					
ii					
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16					

**SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY**

[As per Form 16 issued by Employer(s)]

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

**NOTE** ▶ Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15**SCHEDULE TDS-2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY**

[As per Form 16 A issued or Form 16C or Form 16D furnished by Deductor(s)]

Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward
		Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

**NOTE** Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_. (Please see instruction)

Place: \_\_\_\_\_ Signature here →

Date :

**If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:**

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP
Amount to be paid to TRP		

;

[Notification No. 105/2023/ F. No. 370142/45/2023-TPL (Part-I)]

SURBENDU THAKUR, Under Secy. Tax Policy &amp; Legislation

**Note:** The principal rules were published vide notification number S.O.s 969(E) dated the 26<sup>th</sup> March, 1961 and last amended vide notification number G.S.R. 900 dated the 19<sup>th</sup> December, 2023.